दूंगा । मैं अपनी बात कहूंगा, वह अपनी बात कहें ।

Mr. Speaker: If the Home Minister is ready to make a statement, I have no objection. It is not as though I am blocking him. Let not that be said.

Shri S. M. Banerjee: On item 1 I want to say something.

श्री मधु लिमये : पहले तो आप हंस रहे थे, हां कह रहे थे । अब आप क्यों चुप है । आप अपनी सफाई दें, हम अपनी बात कहेंगे ।

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): The point is, it is not a question of my being prepared, because I stand by every word of what I have said. I do say that I stand by every word of what I have said What the Governor said, whether he said it, I will have to find out because we are going by the press report

श्री मधु लिमये : आप क्यो, स्पीकर साहब फाइंड आउट करेंगे । आप कैसे करेंगे, मुझे अर्ज यह करनी है कि अध्यक्ष महोदय, आप गवर्नर से पूछ लीजिये कि उन्हो ने क्या कहा था ।

Mr. Speaker: At least you admit I must find out Let us talk about it

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह ही प्रधान मंत्री ने यह कहा है ..

Mr. Speaker: Mr Gupta, I ask you to sit down. I am not going to allow. The House will take up discussion and voting on Demands.

Shri S. M. Banerjee: This is most unfair Dr. Ram Subhag Singh made a statement We are not allowed to say something on that. This is extraordinary.

Mr. Speaker: So many people are getting up and shouting. Everyday it has become a terrible headache now, and I am very glad the independent members pointed out yesterday that those who shout alone are getting a hearing, and I think they are partly right. Some of them cannot get up and shout, that is what they said yesterday, and there is some truth perhaps in that.

श्री मधु लिमये : शाउटिंग का क्या सवाल है? इस पर मुझे सख्त ऐतराज है । हम अपने अधिकारो के लिये नियमो के आधार पर लड रहे है । इस मे चिल्लाने का कोई सवाल नहीं है । बार बार चिल्लाने की बात की जाती है । चिल्लाने का कोई सवाल नही है । हम अपने अधिकारो के लिए लडते है । नियमो के आधार पर लडते हैं ।

Mr. Speaker: It may be so. They too have a right The *adhikar* also must be within the four corners of the rules, not simply getting up any time

श्री मधु लिमये : नियमो के अन्दर बोल रहा हू । प्रिभा फैसी केस के आधार पर प्रिवलेज मोशन आ सकता है ।

Shri S. M. Banerjee: First of all on item No 1 my submission is that we have not heard him at all.

Mr. Speaker: Let him read it.

11.08 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Dr. Ram Subhag Singh): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 24th July, 1967, will consist of:—

1. Consideration and passing of:

   (i) The Finance (No. 2) Bill, 1967.

   (ii) The Tea (Amendment) Bill, 1967.

   (iii) The Standards of Weights and Measures (Extension to Kohi-

[Dr. Ram Subhag Singh]

ma and Mkokchung Districts) Bill 1967.

2. Discussion and voting on the Demands for Excess Grants Railways) for 1964-65.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): We are surprised that even after the completion of the grants there is not going to be a discussion on the DA. Commission's report as we were assured in this House. I requested the Finance Minister that if he was not prepared to give a reply at least we should be given an opportunity to discuss. Though there is a motion initiated by Mr. M. L. Sondhi, myself and others on the DA Commission's report, we shall not be able to take up that discussion next week. May I submit that this is a very important matter on which we should have a discussion.

Secondly, you remember we raised a controversy about the distortion of facts when Mr. Chagla announced in this House that Pakistan occupied five villages in Latitila-Dumabari area in 1962-63. Immediately it resulted in a controversy. You in your wisdom said that you were prepared to grant a discussion if somebody initiates it. We have initiated it. This has become a very important matter before the country. So, we want a discussion on that.

Thirdly, he has not said anything about the discussion of the Hazari report. Even yesterday Mr. F. A. Ahmed while replying to the debate said that there would be a discussion on it.

Mr. Speaker: The Hazari report and the Scheduled Castes and Tribes report have both been allotted some time before we adjourn.

श्री एस० एस० जोशी (पूना) : अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते सम्बन्धी आयोग की रिपोर्ट के बारे में हमने बार बार सवाल उठाया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि इस बारे में अपना फैसला करने से पहले हम कुछ नहीं करेंगे। हम तो इस बात के लिये भी तैयार थे कि चाहे वह अपना फैसला न दें, लेकिन कम से कम वह हम लोगों की बात तो सुन लें। कल प्रश्न-काल के दौरान मैं ने कहा था कि जब 1960 में जनरल स्ट्राइक हुई थी, तब एक जायंट कनसल्टेटिव मशीनरी बनाई गई थी, जिस का मकसद यह है कि मजदूरों के नुमायन्दे और गवर्नमेंट के नुमायन्दे एक साथ बैठें और जो कोई सवाल खड़ा हो, उस पर चर्चा कर के कुछ फैसला या समझौता कर लें। वित्त मंत्री जो फैसला करने जा रहे हैं, उस से पहले न तो यहां बातचीत होगी और न वह जायंट कनसल्टेटिव मशीनरी के साथ बैठेंगे। तो फिर उन के फैसला करने के बाद मजदूरों के लिये क्या रह जाता है, हम लोग क्या करेंगे? हम समझते हैं कि अगर हम को डेमोक्रेटिक तरीके से काम चलाना है, तो एक दूसरे के साथ बातचीत करने और कनविन्स करने की जो मशीनरी उपलब्ध है, उस को इस्तेमाल करने का हम को मौका मिलना चाहिये। इस समय स्थिति यह है कि न तो यहां चर्चा का मौका दिया जाता है और न जायंट कन्सलटेटिव मशीनरी के अन्तर्गत। अगर वित्त मंत्री द्वारा फैसला करने के बाद कोई चर्चा होगी, तो उस से कोई फायदा नहीं होगा। **टाइम इज दि एसेन्स**।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, आप को स्मरण होगा कि प्रायः प्रत्येक शुक्रवार को जब संसद्-कार्य मंत्री अगले सप्ताह की कार्यवाही की घोषणा करते हैं, तब आप का ध्यान इस सदन के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों में से उस नियम की ओर आकर्षित किया जाता है, जो कि नो-डे-येट-नेम्ड मोशन्ज के विषय में है। आप ने कुछ अनियत दिन वाले प्रस्ताव स्वीकार किये थे। उन प्रस्तावों में से किस किस को प्राथमिकता दी जाये, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी ने एक उस प्रस्ताव को

प्राथमिकता दी है, जो कि अमरीका और अन्य पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली शस्त्र-सहायता के सम्बन्ध में है, जिस के परिणामस्वरूप पाकिस्तान का युद्धोन्माद जाग उठा है और हमारी सीमाओं पर एक भयंकर तनाव पैदा हो गया है। कमेटी की उस बैठक में संसद्-कार्य मंत्री स्वयं उपस्थित थे। जब सदन में इन अनियत दिन वाले प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समय नहीं देना है, तो काहे को हम ये प्रस्ताव देते हैं, काहे को आप उन को स्वीकार करते हैं और काहे को उन के लिए यह कमेटी बना रखी है ? इस से अच्छा है कि इस सदन के नियमों में से अनियत दिन वाले प्रस्तावों से सम्बन्धित नियम को निकाल ही दिया जाये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कमेटी ने जिन प्रस्तावों को प्राथमिकता दी है, उन में एक या दो प्रस्तावों को तो लिया जाना चाहिए।

चूंकि शिक्षा मंत्रालय के अनुदानों पर बहस नहीं हो सकेगी, इसलिए कोठारी कमिशन की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए इस सत्र के अन्त तक अवश्य समय दिया जाये, क्योंकि वह एक बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है।

संसद्-कार्य मंत्री यह भी बतायें कि क्या संसद का अधिवेशन नियत समय पर समाप्त होगा, अथवा उस के एक आध सप्ताह बढ़ने की सम्भावना है ?

श्री मधु लिमये : (मुंगेर) : हालांकि समय बहुत कम बचा है, लेकिन दो प्रस्तावों पर चर्चा के लिए समय अवश्य निकाला जाये, जिस के लिये बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की उप-समिति का और पूरे सदन का आश्वासन है। उन में से एक प्रस्ताव है हिन्दुस्तान के सिकुड़ते हुए क्षेत्रफल **शिंकिंग एरिया आफ इंडिया**—के बारे में और दूसरा प्रस्ताव है फिजूलखर्ची और विलासिता और खर्च पर 1500 रुपये तक की रोक लगा कर पूंजीकरण के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध करने के बारे में। इन दोनों प्रस्तावों के बारे में कुछ समय देने का वादा भी किया गया है। इस बात की सफाई होनी चाहिए कि इन दोनों प्रस्तावों को कब लिया जा रहा है और उन को नियम 184 के मातहत लिया जा रहा है या नियम 193 के मातहत।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर): अध्यक्ष महोदय, मुझे दो बातें कहनी हैं। लाठीटोला और दुमाबाड़ी क्षेत्र में जो कुछ हुआ है, उस के बारे में इस सदन में जल्दी से चर्चा करने की आप को इजाजत देनी चाहिये। हम लोग तो आशा करते थे कि आप स्थगन-प्रस्ताव पर मंजूरी देंगे। यह बहुत गम्भीर मामला है और इस पर इसी सप्ताह चर्चा होना जरूरी है। इस बारे में नोटिस दिए गए हैं।

डी० ए० कमीशन की रिपोर्ट के बारे में चर्चा होना भी आवश्यक है। वित्त मंत्री महोदय ने कहा है कि वह इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकेंगे, लेकिन इस चर्चा के द्वारा इस सदन के सदस्यों को अपनी प्रतिक्रिया से उन को परिचित कराने का मौका मिलेगा। लाखों केन्द्रीय कर्मचारी इस प्रश्न से सम्बन्धित हैं और इस बारे में सदन में चर्चा होना बहुत आवश्यक है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : पिछले सप्ताह प्रधान मंत्री ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन के बारे में एक बयान दिया था और हम लोगों ने मांग की थी कि उस पर विचार किया जाये। आप ने कहा था कि समय निकाल कर उस पर चर्चा करेंगे। इस संबंध में रूल 193 के मातहत नोटिस दे दिया गया है और इस विषय पर चर्चा के लिए समय निकालना आवश्यक है।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन) : इस सदन में व्यापार मंत्री ने दो-तीन बार यह घोषणा की है कि इस समय कपड़ा उद्योग बड़े संकट में है और काफी मजदूर बेकार होते जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि . . .

श्री शिव नारायण (बस्ती) : पायट आफ आर्डर । मैं यह जानना चाहता हू कि इन तीनों सदस्यो मे से जनसघ का नेता कौन है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बैठ जाइये (व्यवधान)

श्री शिव नारायण : क्यो बैठ जाऊ मैं ने पायट आफ आर्डर उठाया है । मैं अध्यक्ष महोदय से यह पूछ रहा हू कि ये तीन-तीन सदस्य जो खडे हुए हैं इन मे से जनसघ का नेता कौन है । (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तीन नही हम तीस सदस्य खडे होग । इस पर पायट आफ आर्डर रेज नही हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस पार्टी श्री शिव नारायण को अनुशासन मे नही रख सकेगी तो सदन में काम चलना मुश्किल हो जायेगा ।

श्री शिवचरण लाल (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हू कि आप माननीय सदस्य श्री शिव नारायण को कुछ अनुशासन मे रखिये । जब माननीय सदस्य आप के सामने अपनी बात रख रहे हैं तो श्री शिव नारायण को इस तरह बीच मे टोकना नही चाहिए । इस प्रकार सदन की कार्यवाही कैसे चल सकती है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय मैं कपडा उद्योग के बारे मे कह रहा था कि उस मे देश के हजारो लाखो मजदूरो के बेरोजगार होने की आशका है । मैं यह जानना चाहता हू कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा के लिए कब समय दिया जायेगा ?

मैंने प्रस्ताव दिया है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा कांग्रेस पार्टी के दबाव में आकर जो विधान सभा का सत्रावसान किया गया है उस के बारे मे इस सदन मे चर्चा होनी चाहिए ।

Dr. Ram Subhag Singh: Regarding the Gajendragadkar Commission report, as you yourself know, I myself had proposed that the hon Deputy Prime Minister has written a letter, and the Business Advisory Committee in its wisdom thought that this matter should be discussed only after the Government has taken a decision in the matter

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह तो पोस्ट-मार्टम होगा ।

Dr. Ram Subhag Singh: That was the decision of the Business Advisory Committee What am I to do? Then, regarding Lathitilla-Dumabari, as you know, the Demands of the External Affairs Ministry were only recently discussed The hon Minister of External Affairs is out of the country. So, I am not in a position to say anything in the matter, it can be said only when he returns and I consult him

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने नो-डै-यैट-नेम्ड मोशन्ज को लिये जाने के बारे मे कहा है और श्री मधु लिमये ने सीलिंग आन इण्डिविजुअल एक्सपेंडिचर सबधी प्रस्ताव को लिये जाने के बारे मे कहा है । मै उन को सूचित करना चाहता हू कि हम ने इस डिस्कशन को स्वीकार कर लिया हैं । श्री मधु लिमये ने "अफ्रिका एरिया आफ इंडिया" सबधी प्रस्ताव पर चर्चा के लिए भी कहा है । चूकि विदेश मत्री यहा नही है इस लिए मैं उस के बारे मे अभी कुछ नही कहना चाहता ।

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : वह तो शिक्षा मत्री का– सरवे आफ इंडिया— मामला है ।

डा० राम सुभग सिंह . उस को लिया जाना अभी सम्भव नही है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : वह बात तो अलग है । मत्री महोदय उस प्रस्ताव को जल्दी से ।

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उस के बारे में मैं ने भी प्रस्ताव दिया है।

डा० राम सुभग सिंह . माननीय सदस्य डा० लोहिया का "सीलिंग आन इन्डिविजुअल होल्डिंग्स" संबंधी प्रस्ताव आ रहा है।

श्री कछवाय ने कपड़ा उद्योग की स्थिति पर चर्चा के लिए कहा है। इस समय उस को लेना संभव नहीं है।

जहां तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्मस कमीशन संबंधी चर्चा का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि समय की बहुत दिक्कत है। अभी सवाल पूछा गया है कि क्या यह सेशन एक या दो सप्ताह बढ़ाया जायेगा। अधिकांश दलों के नेता इस बात पर सहमत हैं कि यह सेशन जल्दी से जल्दी समाप्त किया जावे। सेशन की समाप्ति 11 मई या 12 मई को जरूर होगी यह अन्दाज अब तक है। इस लिये जो दूसरे विषयों पर डिस्कशन है वह लेने की सम्भावना शायद नहीं होगी।

Mr. Speaker: We are having meetings of the Business Advisory Committee every week, but unfortunately the leaders are not attending it. Probably they are busy outside. Otherwise, you can adjust all these things there itself Not that we did not discuss them. For instance, we allotted 7 hours for the discussion on the Hazari Report, 7 hours for the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, etc. About the DA question, we discussed it and said, let the Deputy Prime Minister take some time and next week or before we adjourn we shall discuss it once. About the boundaries, instead of discussing them piecemeal, we decided that we can have a discussion on one day about all the boundaries. These were discussed in the BAC. It is not that the whole House knows it. 7 or 8 members attend it and only they know it. The others may not be knowing it and therefore they raise those points here. Again next Monday, the Business Advisory Committee is meeting. I appeal to the leaders of the various parties to attend it. Let us fix up the programme in consultation with the Deputy Prime Minister and other ministers concerned with these subjects which were mentioned now

I am only hoping that by August 11th we shall adjourn or at least on Saturday, the 12th August, we shall adjourn We have been sitting for 3 full months and members have to go to their constituencies. I have told the Minister of Parliamentary Affairs also that we shall adjourn on the 12th We shall again meet, I mean, the Business Advisory Committee can meet on Monday and decide what we shall discuss and what we shall postpone

Shri M. R. Krishna (Peddapalli): Is there any religious sanction attached to the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes that it is always taken at the end?

Mr. Speaker: 7 hours have been allotted for it Whether at the end or beginning, it is the time that is allotted that matters. I do not think the Constitution permits that we can postpone the budget and take up these things' We must be happy that at least after 2 years we are getting sometime for that.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप जितना बैठना चाहें बैठ लें, अब शायद आगे जल्दी बैठने का मौका नहीं रहेगा, ऐसी अवस्था हो गई है।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप से एक जानकारी चाहता हूं। अब तक यह परम्परा रही है कि जब कोई ध्यान आकर्षण इत्यादि देता है तो उसको सूचना मिलती थी कि उसको कब लिया जावेगा। मध्य प्रदेश का मामला बहुत ही महत्वपूर्ण था। गृह मंत्री जी से मुख्य

[श्री राम सेवक यादव]

मंत्री और राज्यपाल की बात हुई है उसके बारे में हमें पता नहीं है कि वह 5 बजे लिया जावेगा या कब लिया जावेगा ?

Mr. Speaker Every member should be satisfied After Mr Madhu Limaye raised it you want to raise it again

श्री मधु लिमये वह तो प्रिवलेज के बारे में था। ये कह रहे हैं कि इन को सूचना नहीं मिली है।

श्री राम सेवक यादव मैं आज की घटना के बारे में कह रहा हूं।

Mr Speaker Madhya Pradesh was discussed for more than 3 hours I am prepared to give time for discussing any reasonable thing The difficulty is I must satisfy not only the leaders sitting in the front row, but also the other members I must satisfy Mr Kachwai whatever might happen I must satisfy not only Mr Limaye but Mr Yadav also Naturally in the midst of all this Mr Sheo Narain also wants some enlightenment There is nothing wrong in it Why should Mr Sheo Narain alone be blamed? I cannot understand that I am glad there is at least one member on this side who is saying something equally interesting as our other friends on this side do

Shri S M Banerjee Sir the representatives of the Central Government employees met the Cabinet Secretary and requested that the DA Commission's Report may be discussed in the Joint Consultative Machinery Even it has been refused by the Cabinet Secretary That is why Sir this matter has become more important and I would request the hon Finance Minister to have it discussed here in this House

12.36 hrs.

*DEMANDS FOR GRANTS—Contd.
MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND SUPPLY

Mr. Speaker The House will now take up discussion and voting on Demand Nos 87 to 90 103 to 105 and 138 to 140 relating to the Ministry of Works Housing and Supply for which 4 hours have been allotted

Hon Members present in the House who are desirous of moving their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move

DEMAND NO 87—DEPARTMENT OF WORKS AND HOUSING

Mr Speaker Motion moved

That a sum not exceeding Rs 16 07 000 be granted to the President to *complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1968 in respect of Department of Works and Housing'

DEMAND NO 88—PUBLIC WORKS

Mr Speaker Motion moved

"That a sum not exceeding Rs 25 81 87 000 be granted to the President to *complete the sum necessary to defray* the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March 1968 in respect of Public Works'"

DEMAND NO 89—STATIONERY AND PRINTING

Mr Speaker Motion moved

'That a sum not exceeding Rs 9 23 55,000 be granted to the President to complete *the sum*

*Moved with the recommendation of the President